

फर्द अहकाम

श्रीकृष्णदास वनाम सत्यनारायण

62/24 TL

दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से	विशेष विवरण
17 ³ / ₂₀	<p>पत्रावली प्रस्तुत (व.फ. उप.) आपकी स्वीकार्यता के जवाब पत्रावली किया है। प्रत्येक अवसर की डिपेंडेंस फिलहाल जवाब का अवसर बैंक किया जाता है। पत्रावली वास्तव में प्रोपर्टी हेतु दिनांक 3/4/20 को पेश हो।</p> <p style="text-align: center;">(अमं)</p> <p style="text-align: center;">सहायक कलक्टर आमेर मं. जयपुर</p>	<p style="text-align: right;">24/02/25 (प्रा. प्र. प्र. प्र.)</p>
3 ⁴ / ₂	<p>पत्रावली पेश हुई। व.फ. उप. पत्रावली प्रतिक्रिया आदेश..... 12/3/25 अनुसार आगामी पेशी दिनांक..... 12/4/25 को पेश हो।</p>	
17 ⁴ / ₂₀	<p>पत्रावली प्रस्तुत (व.फ. उप.) आपकी स्वीकार्यता के जवाब पत्रावली प्रस्तुत की गई। प्रत्येक अवसर की डिपेंडेंस फिलहाल जवाब का अवसर बैंक किया जाता है। पत्रावली वास्तव में प्रोपर्टी हेतु दिनांक 2/4/25 को पेश हो।</p> <p style="text-align: center;">(अमं)</p> <p style="text-align: center;">सहायक कलक्टर आमेर मं. जयपुर</p>	
21 ⁴ / ₂₀₂₅	<p>पत्रावली प्रस्तुत। वहील उक्त प्रोपर्टी के जवाब प्रस्तुत की गई, जिसमें प्रथम दृष्टया प्रकरण सुविधा का संतुलन अपूरणीय क्षति से किन्तु को देखा जा रहा है। प्रस्तुत तर्कों अनुसार अपूरणीय क्षति (विशेष मू. मात्र पर निर्माण के बंधन करवा जा रहा है तो प्रतीकों अपूरणीय क्षति होगी। अतः ऐसी स्थिति में विवादित आराजी के संरक्षण हेतु मूल वाद के निर्णय तक दिनांक 20⁰⁶/₂₀₂₅ को जारी अन्तरिम अल्पार्थ निषेधाज्ञा को रखाई किया जाता है।</p> <p>पत्रावली के मूल श्रुति दायित्व दायित्व प्रस्तुत हो।</p> <p style="text-align: center;">(अमं)</p> <p style="text-align: center;">सहायक कलक्टर आमेर मं. जयपुर</p>	

